भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 2045
14 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

स्वच्छ शौचालय अभियान

2045. श्री धैर्यशील संभाजीराव माने:
श्री श्रीरंग अप्पा बारणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक,
श्री प्रतापराव जाधव,
श्री सुधीर गुप्ता

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में स्वच्छ शौचालय अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत चैन्ने में दो दिवसीय राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का भी आयोजना किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यशाला के आयोजन के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(ङ) स्वच्छ भूमि, स्वच्छ पानी और स्वच्छ वायु द्वारा परिभाषित सुरक्षित स्वच्छता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
<u>आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री</u>
(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): सामुदायिक शौचालयों/ सार्वजनिक शौचालयों (सीटी/पीटी) की कार्यक्षमता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 17 दिसंबर, 2023 को विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, 2023 से शुरू होकर 25 दिसंबर, 2023 तक 5

सप्ताह का सुशासन दिवस अर्थात 'स्वच्छ शौचालय अभियान' शुरू किया। 'स्वच्छ शौचालय अभियान' का उद्देश्य हैं (i) सीटी/पीटी का राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान; (ii) शौचालयों का संचालन और रखरखाव योजना; (iii) उपयोगकर्ता के व्यवहार का जायजा लेना; (iv) बेहतर निगरानी तंत्र; (v) आकांक्षी शौचालयों का निर्माण और (vi) महिला एसएचजी द्वारा 'शौचालय ग्रेडिंग'।

सभी शौचालयों में स्वच्छता और रखरखाव अभियान के अलावा, अभियान में एक चुनौती भी है। स्वच्छ शौचालय चैलेंज का उद्देश्य असाधारण सार्वजनिक शौचालयों को पहचानना है जो स्वच्छता, पहुंच, डिजाइन में नवीनता और साथ ही कार्यक्षमता का उदाहरण देते हैं। यूएलबी, पैरास्टैटल निकायों, साथ ही निजी संगठनों से उनके सर्वोत्तम सार्वजनिक और सामुदायिक मॉडल को साझा करने के लिए नामांकन मांगे गए हैं । इन शौचालय मॉडलों की पहचान से इन्हें व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा मिलेगा और देश में स्वच्छता की समग्र स्थिति में सुधार होगा।

(ग) से (घ): सुरक्षित स्वच्छता प्राप्त करने और छोटे शहरों में प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) की योजना और कार्यान्वयन कार्यनीति पर चर्चा करने और मशीनीकृत सफाई को मजबूत करने के माध्यम से सफाई कर्मियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने और मशीनीकृत सफाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार के सहयोग से 23- 24 नवंबर, 2023 को चेन्नई, तमिलनाडु में दो दिवसीय राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया । कार्यशाला का लक्ष्य यूएलबी कर्मचारियों और विषय से जुड़े इंजीनियरों की क्षमता निर्माण करना था। कार्यक्रम में लगभग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

(ङ): स्वच्छता एक राज्य का विषय है और देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की योजना बनाने, डिजाइन करने, निष्पादित करने और संचालित करने की राज्य/यूएलबी की जिम्मेदारी है। तथापि, भारत सरकार स्वच्छ भूमि, स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा द्वारा परिभाषित सुरक्षित स्वच्छता प्राप्त करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी, वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करती है :

(i) राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र को विभिन्न जनसंख्या श्रेणी के शहरों के लिए कंपोस्ट, बायो-मीथेनेशन , अपशिष्ट-से-ऊर्जा उत्पादन, मेटीरियल रिकवरी सुविधा (एमआरएफ), निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग, डंपसाइट उपचार आदि जैसी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए 25%, 33% और 50% की अलग-अलग

दरों पर अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) दी जाएगी । इसके अलावा आईएचएचएल, सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों, सुरक्षित स्वच्छता के लिए मैकेनिकल डिसलुडिंग वाहनों के लिए एसीए प्रदान किया जाता है। इसके अलावा एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए मल कीचड़ उपचार संयंत्र (एफएसटीपी)/ सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) और एफएसटीपी के डिजाइन का एक नया घटक भी प्रदान किया गया है।

(ii) अपशिष्ट प्रबंधन की योजना, डिजाइनिंग और संचालन और रखरखाव के सभी पहलुओं को शामिल करने वाले नियमावली, परमर्शिकाओं, डिजाइन, प्रोटोकॉल के माध्यम से तकनीकी सहायता।

(iii) मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संस्थागत क्षमता के सृजन के लिए राज्य और शहरों के क्षमता निर्माण (सीबी) के लिए निधि प्रदान की जाती है ।

(iv) कचरा मुक्त शहरों के विजन को प्राप्त करने की ओर 'जन आंदोलन ' में तीव्रता लाने और स्वच्छ व्यवहार और संबंधित कार्यों को संस्थागत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर नागरिक आउटरीच के साथ-साथ जागरूकता सृजन सुनिश्चित करने हेतु राज्य और शहरों को आईईसी के लिए निधि भी प्रदान की जाती है ।

(v) सरकार द्वारा 'स्वच्छ सर्वेक्षण' शुरू किए गए जिसने शहरों में बेहतर स्वच्छता हासिल करने के लिए शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा, स्वच्छता संबंधी खामियों को रोकने के लिए ओडीएफ, ओडीएफ+, ओडीएफ++ और जल+ का वार्षिक प्रमाणीकरण किया जाता है। इसी प्रकार अपशिष्ट प्रबंधन, स्टार रेटिंग का आकलन प्रतिवर्ष किया जाता है।